

**FORM- IV**

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा 2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने प्रारूप

| 1    | परियोजना ब्यौरे :-                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i.   | उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिये वनभूमि अपेक्षित है -                                                             | भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India)" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सरगुजा जिला के सरगुजा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 7.967 हे. वनभूमि एवं 0.936 हे. राजस्व वनभूमि, कुल वनभूमि रकबा 8.903 हे. वनभूमि प्रस्तावित है। |
| ii.  | अपेक्षित वनक्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाना है, जो उप वन संरक्षक की श्रेणी से कम श्रेणी का अधिकारी नहीं हो) -      | सरगुजा वनमंडल -8.903 हैं.<br>आरक्षित वन 0.290 हैं.<br>संरक्षित वन 7.677 हैं.<br>राजस्व वन 0.936 हैं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| iii. | परियोजना की कुल लागत -                                                                                                                          | 84 करोड़ 86 लाख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| iv.  | परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य, तथा इसके लिये जिन वैकल्पिक स्थानों की जाँच की गई उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताए जाऐ - | सरगुजा जिला के सरगुजा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु माँग कि गई वनभूमि न्यूनतम है। इसमें वृक्ष विदोहन नहीं होना है तथा तकनीकी दुष्टी कोण से अत्यंत उपयुक्त है। इस परियोजना में समस्त पहलुओं को जाचने के उपरांत निकर्ष निकला कि वनभूमि के उपयोग को नकारा नहीं जा सकता है।                                                                                                                                                                                    |
| v.   | वित्तीय तथा सामाजिक लाभ -                                                                                                                       | सरगुजा जिला के सरगुजा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बतौली , लखनपुर, लुंडरा एवं मैनपाट ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से सम्पादित होंगे।                                                                                                                                                                                                         |

|      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vi.  | कुल लाभान्वित होने वाली आबादी -                                                                                                                                                                                 | सरगुजा जिला के सरगुजा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बतौली, लखनपुर, तुंडरा एवं मैनपाट ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों के ग्रामवासी |
| vii. | सृजित रोजगार                                                                                                                                                                                                    | निरंक                                                                                                                      |
| 2    | परियोजना स्कीम का स्थान :-                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
| i    | राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश -                                                                                                                                                                                    | छत्तीसगढ़                                                                                                                  |
| ii   | जिला -                                                                                                                                                                                                          | सरगुजा                                                                                                                     |
| iii  | वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट -                                                                                                                                                                              | संलग्न पेज क्रमांक से                                                                                                      |
| 3    | मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना/स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा -                                                                                                                                | सरगुजा वनमंडल -8.903 हैं.<br>आरक्षित वन 0.290 हैं.<br>संरक्षित वन 7.677 हैं.<br>राजस्व वन 0.936 हैं.                       |
| 4    | शामिल वनभूमि का ब्यौरा -                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| i    | वन की वैधानिक स्थिति (नामत: आरक्षित/सुरक्षित/अवर्गीकृत आदि) -                                                                                                                                                   | सरगुजा वनमंडल -8.903 हैं.<br>आरक्षित वन 0.290 हैं.<br>संरक्षित वन 7.677 हैं.<br>राजस्व वन 0.936 हैं.                       |
| ii   | क्षेत्र में मौजूद वनस्पति जात और प्राणीजात का ब्यौरा -                                                                                                                                                          | आवश्यक नहीं है।                                                                                                            |
| iii  | वनस्पति की सघनता -                                                                                                                                                                                              | आवश्यक नहीं है।                                                                                                            |
| iv   | वृक्षों की प्रजातिवार तथा श्रेणीवार सार -                                                                                                                                                                       | आवश्यक नहीं है।                                                                                                            |
| v    | भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा (भाग) है अथवा नहीं -                                                                                                          | आवश्यक नहीं है।                                                                                                            |
| vi   | क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित जीव मंडल रिजर्व आदि का एक हिस्सा (भाग) है, यदि हो तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें (मुख्य वन जीव वार्डन की विशिष्ट टिप्पणीयों को संलग्न करें) | आवश्यक नहीं है।                                                                                                            |
| vii  | विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना/स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा -                                                                                                                                | ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कुल रकबा 8.903 हैं. भूमि उपयोग की जानी है।                                                  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| viii | क्षेत्र में पाये जाने वाली दुर्लभ/संकटपत्र वनस्पतियों व प्राणीजातों की प्रजातियां -                                                                                                                                                                | आवश्यक नहीं है। |
| ix   | क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है, या उसके लिये प्रजनन भूमि का एक भाग है                                                                                                                                                             | आवश्यक नहीं है। |
| x    | प्रस्ताव के संगत क्षेत्र का कोई अन्य महत्व                                                                                                                                                                                                         | आवश्यक नहीं है। |
| 5    | परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा -                                                                                                                                                                                                  |                 |
| i    | विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या                                                                                                                                                                                                         | आवश्यक नहीं है। |
| ii   | विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या                                                                                                                                                                          | आवश्यक नहीं है। |
| iii  | विस्तृत पुनर्वास योजना -                                                                                                                                                                                                                           | आवश्यक नहीं है। |
| 6    | क्षतिपूरक वन स्कीम के ब्यौरे -                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| i    | क्षतिपूरक वनरोपण के लिए पहचान किये गये गैर वनक्षेत्र अवक्रमित वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्सों की संख्या प्रत्येक हिस्से का आकार -                                                                                        | आवश्यक नहीं है। |
| ii   | क्षतिपूरक वन रोपण के लिए पहचान किये गये वनक्षेत्र /अवक्रमित वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र -                                                                                                                           | आवश्यक नहीं है। |
| iii  | रोपण की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन एजेन्सी, समय सूची लागत ढाचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम -                                                                                                                                     | आवश्यक नहीं है। |
| iv   | क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय -                                                                                                                                                                                               | आवश्यक नहीं है। |
| v    | वन रोपण के लिये क्षतिपूरक वन रोपण हेतु पहचान किये गये क्षेत्र की उपर्युक्ता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ता. किये जायें जो कि उप वन संरक्षक की श्रेणी के नीचे का अधिकारी न हो) | आवश्यक नहीं है। |

|      |                                                                                                                        |                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| vi   | क्षतिपूरक वन रोपण के लिये वनेतर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र -                             | आवश्यक नहीं है। |
| vii  | पारेषण लाइनों के बारे में ब्यौरे केवल पारेषण लाइनों के प्रस्तावों के लिये -                                            | आवश्यक नहीं है। |
|      | a. पारेषण लाइन की कुल लम्बाई -                                                                                         | आवश्यक नहीं है। |
|      | b. वनक्षेत्र के होकर गुजरने वाली लाइन की लम्बाई -                                                                      | आवश्यक नहीं है। |
|      | c. मार्ग का अधिकार -                                                                                                   | आवश्यक नहीं है। |
|      | d. निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या -                                                                           | आवश्यक नहीं है। |
|      | e. वनक्षेत्र में निर्मित किये जाने वाले टावरों की संख्या -                                                             | आवश्यक नहीं है। |
|      | f. पारेषण टावरों की ऊंचाई -                                                                                            | आवश्यक नहीं है। |
| 7    | सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के (केवल सिंचाई वन विद्युत परियोजनाओं के लिए -                                            |                 |
| i    | कुल आवाह क्षेत्र -                                                                                                     | आवश्यक नहीं है। |
| ii   | कुल कमानु क्षेत्र -                                                                                                    | आवश्यक नहीं है। |
| iii  | कुल जलाशय स्तर -                                                                                                       | आवश्यक नहीं है। |
| iv   | उच्च बाढ़ स्तर -                                                                                                       | आवश्यक नहीं है। |
| v    | न्यूनतम प्राप्ति स्तर -                                                                                                | आवश्यक नहीं है। |
| vi   | परियोजना के आवाह क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वनभूमि, कृषि की गई भूमि, चारागृह भूमि, मावन आबादी तथा अन्य) - | आवश्यक नहीं है। |
| vii  | उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र-                                                                                      | आवश्यक नहीं है। |
| viii | पूर्ण जलाशय स्थल पर जलमग्न क्षेत्र-                                                                                    | आवश्यक नहीं है। |
| ix   | पूर्ण जलाशय का स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र                                                                      | आवश्यक नहीं है। |

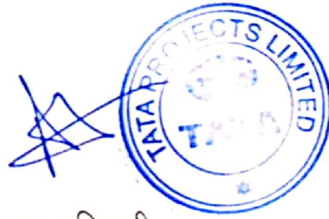
|      |                                                                                       |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| x    | पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र (केवल मझोली व बड़ी परियोजनाओं के लिये) | आवश्यक नहीं है। |
| xi   | न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र -                                               | आवश्यक नहीं है। |
| xii  | विस्तृत आवाह क्षेत्र सुधार योजना -                                                    | आवश्यक नहीं है। |
| xiii | कुल वित्तीय परिव्यय क्षेत्र सुधार योजना के लिये निधियों की उपलब्धता के बारे में -     | आवश्यक नहीं है। |
| 8    | सड़क /रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे -                                                 | आवश्यक नहीं है। |
| 9    | केवल सड़क /लाईनों के प्रस्तावों के लिये -                                             | आवश्यक नहीं है। |
| i    | पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई और वनक्षेत्र                                         | आवश्यक नहीं है। |
| ii   | सड़क की कुल लम्बाई -                                                                  | आवश्यक नहीं है। |
| iii  | पहले बनाई जा चुंकि सड़क की कुल लम्बाई -                                               | आवश्यक नहीं है। |
| 10   | खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिये)                       | आवश्यक नहीं है। |
| i    | कुल खनन पट्टा क्षेत्र और अपेक्षित वनक्षेत्र                                           | आवश्यक नहीं है। |
| ii   | प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि -                                                        | आवश्यक नहीं है। |
| iii  | वनक्षेत्र और गैर वनक्षेत्र में प्रत्येक खनिज/कच्चे धातु का अनुमानित भण्डार -          | आवश्यक नहीं है। |
| iv   | खनिज/कच्चे धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन -                                         | आवश्यक नहीं है। |
| v    | खनन कार्यों की किस्म (खुली खदान/भूमिगत)                                               | आवश्यक नहीं है। |
| vi   | चरणबद्ध सुधार योजना -                                                                 | आवश्यक नहीं है। |
| vii  | जिस क्षेत्र में खनन कार्य किया जायेगा उसका प्लान -                                    | आवश्यक नहीं है। |
| viii | पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जायें -                                                | आवश्यक नहीं है। |

|      |                                                                                                                                                             |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ix   | नियुक्त की जाने वाली श्रमिकों की संख्या -                                                                                                                   | आवश्यक नहीं है। |
| x    | निम्नलिखित के लिये अपेक्षित वनभूमि का क्षेत्रफल -                                                                                                           | आवश्यक नहीं है। |
|      | a. खनन -                                                                                                                                                    | आवश्यक नहीं है। |
|      | b. खनिज/कच्चे धातु का भण्डारन -                                                                                                                             | आवश्यक नहीं है। |
|      | c. अधिभार को जमा करना -                                                                                                                                     | आवश्यक नहीं है। |
|      | d. औजारों एवं मशीनों का भण्डारन -                                                                                                                           | आवश्यक नहीं है। |
|      | e. भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण                                                                                                             | आवश्यक नहीं है। |
|      | f. शहर, आवास, कालोनियां -                                                                                                                                   | आवश्यक नहीं है। |
|      | g. सड़क/रेल्वे मार्ग/रज्जु मार्ग का निर्माण                                                                                                                 | आवश्यक नहीं है। |
|      | h. अपेक्षित वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना                                                                                                             | आवश्यक नहीं है। |
| xi   | परियोजना के तहत ऊपर (क) से (ज) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिये वनभूमि की मांग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं | आवश्यक नहीं है। |
| xii  | खनन और सम्बन्धित गतिविधियों के परिणामस्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या -                                              | आवश्यक नहीं है। |
| xiii | बारहमासी नदियों के मार्गों राष्ट्रीय राजमार्गों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों और जीव मंडल रिजर्वों के खनन की दूरी -                                      | आवश्यक नहीं है। |
| xiv  | पुनः प्रयोग के लिये ऊपरी सतह मिट्टी (उपरिमृदा) के भण्डार की प्रक्रिया)                                                                                      | आवश्यक नहीं है। |
| xv   | भूमिगत खनन कार्यों में अपेक्षित अवतलन की मात्रा और जल, वन, तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव -                                                             | आवश्यक नहीं है। |
| 11   | लागत लाभ विश्लेषण -                                                                                                                                         | आवश्यक नहीं है। |

|      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12   | क्या पर्यावरण रवीकृति/अपेक्षित है (हां/नहीं) यदि हां तो क्या उसके अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिये गये हैं (हां/नहीं) | आवश्यक नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13   | क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुये कोई कार्य किया गया है, (हां/नहीं) यदि हां तो -                                      | नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | a. शुरू होने की तारीख सहित उसके ब्यौरे -                                                                              | नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | b. अधिनियम के उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारी -                                                                     | नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | c. गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई/की जा रही कार्यवाही -                                                     | नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | d. क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुये कार्य किया जा रहा है -                                                  | नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14   | कोई अन्य सूचना -                                                                                                      | नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15   | संलग्न किये गये प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे-                                                                   | चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | निम्नलिखित पहलुओं के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के अध्यक्ष के विस्तृत विचार अर्थात् -                 | भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस -II" के अन्तर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सरगुजा जिला के सरगुजा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट-ऑफ-वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 7.967 हे. वनभूमि एवं 0.936 हे. राजस्व वनभूमि, कुल वनभूमि रकबा 8.903 हे. वनभूमि प्रस्तावित है। |
| i.   | इसमें सम्मिलित वन भूमि से इमारती लकड़ी, जलाने, की लकड़ी, और अन्य वन उत्पाद -                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ii.  | क्या जिला इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी में आत्म निर्भर है                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| iii. | निम्नलिखित प्रस्ताव के प्रभाव -                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | a. ग्रामीण आबादी के लिये जलाने की लकड़ी की आपूर्ति -                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | b. आदिवासियों और पिछड़े समुदायों की अर्थव्यवस्था और जीविका -                                                          | प्रस्तावित वनक्षेत्र में मार्ग के राईट ऑफ वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने से ग्रामीण आबादी के जलाऊ लकड़ी आपूर्ति तथा आदिवासीयो और पिछाडे समुदायो के जीविकोपार्जन में किसी                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|     |                                                                                                                    |                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| iv. | कारणों सहित प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने के लिये मुख्य वन संरक्षक/वन विभाग के अध्यक्ष की विशिष्ट सिफारिशें - | प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

प्रमाणित किया जाता है कि उद्देश्य के लिये सभी अन्य विकल्पों का पता लगा लिया गया है और अपेक्षित क्षेत्र के लिये मांग वनभूमि की न्यूनतम मांग है।



प्राधिकृत अधिकारी  
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड  
वास्ते - संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (आवेदक)  
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
रायपुर छत्तीसगढ़

  
**D.F.O.**  
**Surguja Division**  
**Ambikapur**  
वनमंडलाधिकारी  
सरगुजा वनमण्डल,  
जिला- सरगुजा, (छत्तीसगढ़).

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर (छ.ग.)

(प्रतापपुर रोड, फारेस्ट कैम्पस, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा)

☎ 07774-240238 (O), 240236 (R), 240238 (F) E-Mail :- dfosouthsurguja 200@rediffmail.com

सूचक/तक.अधि./  
प्राप्ति,

1704

अम्बिकापुर, दिनांक/02/12/2020

मुख्य वन संरक्षक,  
सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर

विषय :- Diversion of forest land for non -forest purpose under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Bharat Net Phase-ii Surguja Division. Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32466KM. will involve 26 districts across the state, area-8.903 ha. regarding.

Proposal no.-FP/CG/OFC/42621/2019

- संदर्भ :-
1. छ.ग.शासन वन विभाग का पृ0क्रमांक/एफ.5-27/2020/10-2 दिनांक 03.11.2020
  2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग.रायपुर का पृ0क्रमांक/2020 दिनांक 10.11.2020
  3. आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./4907 दिनांक 17.11.2020

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट परियोजना" के सफल प्रियान्वयन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सरगुजा वनमंडल अन्तर्गत मार्ग के सामान्तर वनभूमि 7.967 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.936 हे. कुल वनभूमि 8.903 हे. पर आर्टिकल फाइवर विछाने हेतु प्रकरण में छ.ग.शासन वन विभाग द्वारा 03 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाईटी (चिप्स) रायपुर के पत्र क्रमांक/2023 दिनांक 25.11.2020 द्वारा छ.ग. शासन वन विभाग द्वारा चाही गई जानकारी प्रस्तुत किया गया है, विवरण निम्नानुसार है :-

1. प्रस्ताव के पृष्ठक्रमांक 43 से संबंधित Form - IV में वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल का हस्ताक्षर पूर्ण किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है)
2. बिन्दु क्रमांक 2 एवं 3 की जानकारी आवेदक संस्थान छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) द्वारा प्रस्तुत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न है)

उपरोक्तानुसार जानकारी अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी

सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर

अम्बिकापुर, दिनांक/2/12/2020

पृक्र/तक.अधि./

1705

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) अरण्य भवन सेक्टर 19 नार्थ ब्लॉक नवा रायपुर अटल नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, सेकेण्ड फ्लोर, एस.डी.सी. भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर



कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

क्रमांक 2023/ समुकाअ/चिप्स/2020

रायपुर, दिनांक 25/11/2020

DM  
D.F.O.  
Surguja Division  
Ambikapur  
26/11

प्रति,

वन मंडलाधिकारी,

सरगुजा वन मंडल, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़.

विषय : Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation act 1980 proposed for BharatNet Project Phase-II Surguja Division BharatNet Project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State. Area 8.903 Ha.

Reg. No. FP/CG/OFC/42621/2019

संदर्भ : 1. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-829/1783 नवा रायपुर दिनांक 07/10/2020।

2. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ-5-27/2020/10-2 दिनांक 03.11.2020।

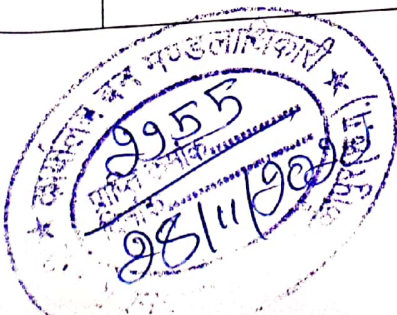
-00-

महोदय,

विषयान्तर्गत अवगत हो कि भारतनेट प्रोजेक्ट फेज-2 के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसे आपके द्वारा अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा करते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को प्रेषित किया गया है।

संदर्भित पत्र के परिपालन में उक्त प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा जो जानकारी चाही गई है उसका विवरण निम्नानुसार है -

| बिंदु क्र. | चाही गई जानकारी                                                                        | जानकारी का विवरण                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 43 में प्रदायित Form IV में वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। | प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 43 में प्रदायित Form IV में उक्त संशोधन आपके कार्यालय द्वारा किया जाना है। |



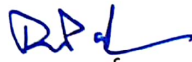
|   |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | अनुसार राजस्व वन भूमि उपयोग हेतु कलेक्टर की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है                                                                                                                                                         | कलेक्टर, जिला सरगुजा द्वारा राजस्व वन भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रथम चरण अनुमति के पालन प्रतिवेदने के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।                                 |
| 3 | प्रस्ताव में वन विकास निगम से सम्बंधित कुछ वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है किन्तु उक्त प्रभावित वन क्षेत्र के गैर वानिकी उपयोग (भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन बिछाने) हेतु वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है | उक्त प्रभावित वन क्षेत्र के गैर वानिकी उपयोग (भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन बिछाने) हेतु वन विकास निगम के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जावेगा। |

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 3 बिन्दुओं में चाही गई जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध), अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़।

  
 संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
 छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)  
 रायपुर, छत्तीसगढ़

